समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2014 R-1471-III/14

पुनरीक्षणकर्ता.......................... मजबूत सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप आयु–50 वर्ष, व्यवसाय–कृषि, निवासी–ग्राम कबीरखेडी परगना व जिला शिवपुरी (म.प्र.)

बनाम

अनावेदकगण.......................... 1. माना पुत्र श्री भोलाराम चिडार, आयु–68 वर्ष, निवासी–ग्राम कबीरखेडी परगना व जिला शिवपुरी (म.प्र.)

2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 26.04.2014 एवं 05.05.2014 जो कि नायब तहसीलदार वृत-2 शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/2013-14/अ-70 बउनमान माना पुत्र भोला बनाम मजबूत सिंह आदि में पारित किया गया।

महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है

1. संक्षिप्त तथ्य

1.1 यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता ग्राम कबीरखेडी की भूमि खसरा नं. 587 रकवा 1.03 हेक्टेयर एवं 588 रकवा 0.14 हेक्टेयर पर काबिज होकर खेती करता चला आ रहा है। उक्त भूमि के संबंध में निगरानीकर्ता के पिता श्री रामस्वरूप पुत्र दौला रावत को अनावेदक क्र. 1 माना द्वारा 19.04.1989 को कृषि भूमि विक्रय का अनुबंध पत्र निष्पादित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1471–तीन/2014 जिला शिवपुरी

मजबूतसिंह विरूद्ध माना आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–1–2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह प्रकरण नायब तहसीलदार वृत्त शिवपुरी जिला शिवपुरी के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 4/13–14/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 26–4–14 एवं 5–5–14 के विरूद्ध दिनांक 8–5–14 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जिसे दिनांक 20–5–14 को प्रकरण ग्राह्य किया जाकर अधिनस्थ न्यायालयों के अभिलेख आहूत किये जाने व अनावेदक को सूचना जारी किये जाने के आदेश इस न्यायालय से प्रदाय किये गये। प्रकरण आज दिनांक 28–1–15 को उभय पक्ष की बहस हेतु नियत है। प्रकरण में अभिलेख पूर्ण प्राप्त हो चुका है। अनावेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव द्वारा उपस्थित होकर स्थगन आदेश निरस्त किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं अनावेदक अभिभाषक द्वारा बताया कि आवेदक अनावेदक की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि आवेदक एवं आवेदक अभिभाषक श्री आर0के0 सोनी पूर्व कई पेशियों से अनुपस्थित हैं। दिनांक 20–5–14 को दिया गया स्थगन आदेश नियमानुसार 90 दिवस की अवधि से अधिक होने के	

कारण निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ न्ययालय का अभिलेख प्राप्त होने से मूल न्यायालय में कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। आवेदक स्वयं तथा अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित हैं। अन्तिम आदेश के विरूद्ध निगरानी में आये हैं। अतः निगरानी प्रचलित रखने का कोई औचितय नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाती है। नायब तहसीलदार वृत्त शिवपुरी का अभिलेख वापस भेजा जाये। नायब तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण का निराकरण एक माह में गुण–दोष के आधार पर करें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य